P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-9*(Part-2) December- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

गांधी–अम्बेडकर : एक तुलनात्मक अध्ययन

हिन्दु राम
असिस्टेंट प्रोफेसर,
राजनीति विज्ञान विभाग,
गायत्री महाविद्यालय, सांचौर,
जालोर, राजस्थान, भारत

सारांश

गांधी–अम्बेडकर दोनों ही देश की स्वतन्त्रता के साथ–साथ हिन्दू धर्म में दलित समुदाय के कल्याण के लिए अपना अपूर्व योगदान दिया है। दोनो के मध्य कई प्रश्नों पर वैचारिक मत भेद थें। गांधी वर्ण व्यवस्था के सर्मथक थे और इसको समाज के हित में मानते थे तो अम्बेडकर जाति व्यवस्था के पूर्ण उन्मूलन के समर्थक थे। यद्यपि दोनो ही अस्पृश्यता के पूर्ण उन्मूलन के समर्थक रहे है। गांधी दलितों को हिन्दू धर्म का ही एक हिस्सा मानते थे उनके स्वतंत्र अस्तित्व को नकारते थें। जबकि अम्बेडकर दलित समुदाय को हिन्दू धर्म से अलग एक स्वतंत्र इकाई के रूप प्रस्तुत कर रहे थे क्योकि उनका मानना था, कि मनुस्मृति छुआछूत को वैधानिकता प्रदान करते है।

जातीय व्यवस्था पर दोनों के मध्य कई अवसर पर एक दूसरे पूरक के रूप में कार्य किया जैसे सर्वजातीय भोज, अन्तर्जातिय विवाह, पूना समझौते पर सहमति.। राजनीतिक क्षेत्र में दोनों ही भारत की दासता को कलंक मानते थे और स्वतन्त्रता के समर्थक रहे। गांधी अस्पृश्यता और देश की गुलामी को कलंक मानते थे तो अम्बेडकर राजनीतिक परतन्त्रता से पहले अस्पृश्यता की प्रथा का अन्त करना चाहते थे। अम्बेड़कर ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग की नीति के समर्थक रहे थे। आर्थिक क्षेत्र में दोनो ही उपनिवेशवाद, नस्लवाद, पूँजी जी के एकाधिकारवाद, जनता के आर्थिक शोषण का विरोध किया। गांधी धर्म को आध्यात्मिक शक्ति के रूप स्वीकार किया तो अम्बे़कर आध्यात्मिक तथा भौतिक शक्ति के रूप में स्वीकार करते है।

मुख्य शब्द : पाश्चात्य जीवन पद्धति, चतुवर्ण–व्यवस्था, श्रम विभाजन, अस्पृश्यता, वर्णाश्रम धर्म, कर्मवाद, पृथक निर्वाचन प्रणाली आत्म–शुद्धीकरण, रचनात्मक कार्य।

प्रस्तावना

गांधी और अम्बेडकर दोनों ही 20वीं सदी के भारत के महान समाज सुधारक और राजनीतिक नेता थे। दोनों ने देश की औपचारिक स्वतंत्रता से परे भारत के भविष्य के दृष्टिकोण को व्यापक किया। हालांकि दोनों के बीच विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर बुनियादी मतभेद थे। सम्भवतः इन मतभेदों का मूल कारण इन दोनों के सामाजिक अनुभवों एवं उनके वैचारिक प्रेरणा स्त्रोतों में निहित है। गांधी की तुलना में अम्बेडकर के सामाजिक अनुभव अत्यन्त कटु एवं पीड़ा जनक थे। जहाँ गांधी का वैचारिक प्रेरणा स्त्रोत हिन्दू दर्शन था और वे पाश्चात्य जीवन पद्धति के कटु आलोचक थे, वही अम्बेडकर के लिए हिन्दू दर्शन अपनी मूल प्रकृति से, अपने ही एक वर्ग के प्रति पूर्ण अन्यायी होने के कारण अमानवीय एवं निन्दनीय था। वस्तुतः वे पाश्चात्य उदारवादी जीवन मूल्यों के प्रशंसक थे और पाश्चात्य सामाजिक–राजनीतिक व्यवस्था को न्यायपूर्ण एवं अनुकरणीय मानते थे।

गांधी–अम्बेडकर के जाति एवं अस्पृश्यता पर विचार

वर्ण एवं जाति व्यवस्था तथा अस्पृश्यता पर गांधी एवं अम्बेडकर के विचारों में आधारभूत अन्तर है। गांधी वर्ण, जाति व्यवस्थाओं के समर्थक थे। गांधी का मत था कि चतुवर्ण व्यवस्था अपने मूल रूप में वैज्ञानिक है और व्यक्ति एवं समाज के हित में है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण एवं जाति के अनुरूप ही परम्परागत व्यवसाय को पूर्ण निष्ठा एवं गौरव के साथ अपनाना चाहिए। अम्बेडकर का मत था कि मूल हिन्दू धर्म में मात्र त्रि–वर्ण व्यवस्था को मान्यता दी है और शूद्र नामक चौथे वर्ण की उत्पत्ति क्षत्रियों के विरूद्ध ब्राह्मणों के कपट एवं षड्यंत्र का परिणाम है। इनके अलावा अम्बेडकर ने वर्ण व्यवस्था का विरोध निम्न आधार पर किया– यह मानव मनोविज्ञान के अनुरूप नहीं है– यह श्रम विभाजन की दृष्टि से अवैज्ञानिक सिद्धान्त है। वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य समाज में ब्राह्मणों के वर्चस्व को बनाये रखना है। वर्ण व्यवस्था अपने अर्न्तविरोध एवं दोषों के कारण जाति व्यवस्था में बदल जाती है। इस प्रकार ये जाति व्यवस्था के पूर्ण

उन्मूलन के समर्थक थे। अम्बेडकर का मत था कि जन्म पर आधारित होने के कारण जाति व्यवस्था व्यक्ति के गुण एवं प्रतिभा का तिरस्कार करती है और उसकी व्यावसायिक स्वतंत्रता का अन्त करती है। जाति–व्यवस्था के कारण हिन्दू–समाज पारस्परिक द्वेष एवं विरोध में उलझी जातीयों का समाज बन गया है। इसके कारण हिन्दू समाज अन्य समाजों के सामने कमजोर पड़ गया है।[1]

जाति के मुद्दे पर गांधी और अम्बेडकर में काफी विवादित प्रश्न रहे हैं। उस समय तत्कालीन समाज में अस्पृश्यता (छूआछूत) जैसी कुरीति का बड़े स्तर पर प्रचलन था। अम्बेडकर इस कुरीति को समाप्त करने के लिये जहाँ सम्पूर्ण जाति व्यवस्था का उन्मूलन करना चाहते थे, वहीं गांधी छुआछूत को तो समाप्त करना चाहते थे, किन्तु उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि इसके लिये जाति का उन्मूलन किया जाए। गांधी ने जाति व्यवस्था का समर्थन किया साथ ही स्पष्ट किया कि जाति व्यवस्था एक वैज्ञानिक वर्गीकरण है और अस्पृश्यता इसमें प्रवेश हुई एक बुराई है, जिसका निराकरण अनिवार्य है।

यह उल्लेखनीय है कि अम्बेडकर का पूरा विचार–विमर्श जाति संबंधी प्रश्न के इर्द–गिर्द रहा। वही गांधीजी ने कभी इस प्रश्न पर पूरी ऊर्जा नहीं लगाई। 'ऑल इंडिया डिप्रेस्ट क्लासेज कांग्रेस' के पहले अधिवेशन में अम्बेडकर ने 1929 में कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज के लक्ष्य का विरोध किया और इस बात पर खुशी जताई कि ब्रिटिशों ने दलितों के हिन्दुओं को हिन्दुओं के अत्याचार से बचाया है। 1939 में अम्बेडकर ने कहा कि ''जब कभी भी देश और अछूतों के हितों में टकराव होगा तो मैं अछूतों के हितों को प्राथमिकता दूंगा।''[2] वही दूसरी तरफ गांधी की भूमिका एकदम विपरीत थी। इस सन्दर्भ में उनकी प्राथमिकता अलग थी। गांधी ने कहा कि मेरे लिये यह कहना असंभव है कि सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा से मेरा कोई लेना–देना नहीं है, इतना ही नहीं बिना स्वराज के पूर्ण अछूतों द्धार भी असंभव है।''[3]

जाति को लेकर गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य दूसरा प्रमुख आधार इसकी व्याख्या के अंतर को लेकर था। गांधी स्वयं को सनातनी परम्परा से जोड़ते थे। अतः स्वाभाविक रूप से उनकी आस्था 'वर्णाश्रम धर्म' में थी। इसी कारण गांधी जाति व्यवस्था को एक ऐसे उपकरण के रूप में देखते थे जो वैज्ञानिक ढंग से सामाजिक व्यवस्था का संचालन करता था। इसके पक्ष में गांधी यह दलील देते थे कि एक जाति विशेष आनुवंशिक तौर पर एक कार्य विशेष को करने में दक्ष होता है। अतः जाति व्यवस्था स्वतः ही कार्य विभाजन कर देती है। इसके अलावा गांधी कर्मवाद में भी विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि कोई व्यक्ति किस जाति में जन्म लेगा, ये उसके पूर्व जन्म के कर्मों से तय होता है। गांधी का मानना था कि कोई भी श्रम उच्च या निम्न नहीं होता, बल्कि सभी समाज में अपनी–अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि गांधी की हिन्दू धर्म में अटूट आस्था थी तथा वे जाति व्यवस्था को हिन्दू धर्म का अभिन्न अंग मानते थे। हालांकि गांधी छुआछूत के सख्त विरोधी थे तथा इसे जाति में प्रवेश एक बुराई मानते थे। गांधी दलितों को हिन्दू धर्म का ही एक हिस्सा मानते थे और उनके स्वतंत्र अस्तित्व को नकारते थे। वही अम्बेडकर की गांधी के विपरीत धारणा थी। वे कहते थे कि बिना जाति का विनाश किये छुआछूत समाप्त नहीं हो सकती। अम्बेडकर ने लिखा है कि ''जाति बहिष्कृत की धारणा जाति व्यवस्था का ही उत्पाद है, इसलिये जब तक जाति रहेगी जाति बहिष्कृत की व्यवस्था भी चलती रहेगी। जाति व्यवस्था की समाप्ति के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है जो अछूतों का उद्धार कर सके। यदि इस घिनौनी कुरीति को नहीं मिटाया जाएगा तो आने वाले समय में हिन्दू धर्म को संघर्ष से कोई नहीं बचा पाएगा।''[4] यहां तक की अम्बेडकर दलित समुदाय को हिन्दू धर्म से अलग एक स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि मनुस्मृति जैसे हिन्दू ग्रन्थ छुआछूत को वैधानिकता प्रदान करते हैं। इसलिये कोई भी व्यक्ति स्वय को उस धर्म से कैसे सम्बद्ध कर सकता है जिसके ग्रन्थों में उसे मनुष्य ही न माना जाता हो? हालांकि गांधी इस तथ्य से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि हिन्दू धर्म के मूल में छुआछूत जैसी बात नहीं है तथा हिन्दू धर्मग्रन्थों में इससे संबंधित वर्णन क्षेपक मात्र है।

गांधी और अम्बेडकर का दलित समुदाय को लेकर सबसे बड़ा टकराव साम्प्रदायिक पंचाट को लेकर हुआ। साम्प्रदायिक पंचाट के विरोध में गांधी अनशन पर बैठ गए जिससे दलितों को अल्पसंख्यक मानते हुए उनके लिए 'पृथक निर्वाचन प्रणाली' की व्यवस्था की गई थी। गांधी इस बात को कतई स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि दलित समुदाय मुस्लिम, सिख, इसाई की तरह एक पृथ्क समूह है। बल्कि वह इसे हिन्दू धर्म के अन्तर्गत ही मानते थे। वही दूसरी तरफ अम्बेडकर पृथक निर्वाचन के पक्ष में मजबूती से डटे थे। अंत में गांधी और अम्बेडकर के बीच 'पूना समझौता' हुआ जिसके तरह पृथक निर्वाचन प्रणाली को खारिज कर दलितों के लिये आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया।

जातीय मुद्दे पर गांधी–अम्बेडकर में समानता

गांधी और अम्बेडकर के मध्य जाति के प्रश्न पर कई स्तरों पर मतभेद अवश्य थे परन्तु कई अवसरों पर दोनों ने एक–दूसरे के पूरक के रूप में कार्य किया। डॉ. नागराज ने लिखा है कि ''गांधी और अम्बेडकर ने एक–दूसरे के विचारों में प्रभावी संशोधन किया। गांधी जहां जाति आधारित भेदभाव के संरचनात्मक कारकों के प्रति अधिक संवेदनशील हुए, वही अम्बेडकर को यह एहसास हुआ कि आर्थिक पक्ष के साथ–साथ नैतिक पुनरूत्थान भी अछूतोद्धार का महत्वपूर्ण अवयव है।''[5]

वस्तुतः अगर ऐतिहासिक संदर्भ में देखा जाए तो जैसे–जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वतंत्रता की मांग तीव्र होती गई। वैसे–वैसे गांधी ने अछूतोद्धार के प्रति अधिक गंभीरता दिखाई। जब तक गांधी अछूत जैसी कुरीति का जोरदार खण्डन नहीं करते तब तक वे अंग्रेजों से समानता का अधिकार मांगने का नैतिक बल नहीं जुटा पाते। इस प्रकार गांधी ने न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि कांग्रेस को भी इस दिशा में सक्रिय किया। उन्होंने कांग्रेस से भी आह्वान किया कि वो राजनीतिक मंचों पर सामाजिक मुद्दों को उठाए। 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में

एक सकल्प पारित कर यह तय किया गया कि किसी को भी मंदिर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा तथा 1921 कांग्रेस अधिवेशन ये तय किया कि सभी स्कूल–कॉलेजों में दलितों को अनिवार्यतः प्रवेश दिया जाएगा। 1931 के करांची अधिवेशन में 'मौलिक अधिकार' संबंधी प्रस्ताव पारित कर समानता स्थापित की गई। जाति व्यवस्था को कमजोर करने के उद्देश्य से गांधीजी सर्वजातीय भोज व अन्तर–जातीय विवाह जैसे कार्यक्रमों में भाग लेने लगे। स्वराज एक्ट पारित कर सभी सार्वजनिक स्थलों को सबके लिये सुलभ बनाया गया। हालांकि अम्बेडकर पृथक निर्वाचन प्रणाली के पक्ष में थे किन्तु अन्त में इसको त्याग कर आरक्षित सीट प्रणाली पर सहमत हुए। दोनों ही महान नेताओं में समानता पाकर आश्चर्यचकित हुए स्वयं अम्बेडकर ने कहा कि अगर आप (गांधी) अपनी ऊर्जा दलित उत्थान के लिये लगा दे तो निश्चय ही आप हमारे हीरो होंगे। पूना पैक्ट में दलितों के आरक्षित सीटें मैक्डोनाल्ड द्वारा तय की गई संख्या की दुगुनी से कुछ अधिक थी। पूना पैक्ट के बाद अब तक भारत में जितने भी चुनाव हुए हैं वे 'आरक्षित सीट प्रणाली' के आधार पर ही हुए हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि गांधी ने पूना पैक्ट में दलितों के हितों की कही पर भी अनदेखी नहीं की है।[6]

मंदिर प्रवेश को लेकर जहां कट्टरपंथी हिन्दुओं ने गांधी पर हमला किया वहीं अम्बेडकर ने पूना और नासिक में मंदिर प्रवेश आन्दोलन का समर्थन किया। लेकिन इस गांधीवादी सत्याग्रह की असफलता ने अम्बेडकर के हिन्दू धर्म में विश्वास को और भी कमजोर किया। गांधी ने दलितों के उत्थान का भार उच्च वर्गों पर डाला जिससे यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने दलितों के स्वयं द्वारा सुधार को प्रोत्साहन नहीं दिया। गांधी के इस सुधारवादी मॉडल पर अम्बेडकर का मत था कि ''इस प्रकार दलित उच्च वर्णों के उपकरण मात्र बनकर रह जायेंगे तथा इतिहास में कोई 'दलित नायक' नहीं हो पायेगा।''[7] फिर गांधी ने जिस व्यक्तिगत प्रयास के माध्यम से इस समस्या का हल ढूंढना चाहा वह तब तक संभव नहीं है जब तक हर व्यक्ति गांधी न हो जाए।

जाति समस्या के समाधान पर गांधी–अम्बेडकर का मत

गांधी और अम्बेडकर दोनों की जाति के प्रश्न पर अलग–अलग राय है। अतः स्वाभाविक है कि उनके समाधान की राह भी अलग–अलग होगी। गांधी इसे धार्मिक प्रश्न मानते थे इसलिये वे इसका समाधान 'आत्म–शुद्धीकरण' के माध्यम से चाहते थे। अर्थात् वे छुआछूत समाप्त करने की सनातनी परम्परा को ही जारी रखना चाहते थे। वस्तुतः हिन्दू धर्म के अन्तर्गत छुआछूत उन्मूलन की एक सतत धारा विद्यमान रही थी। रामानुज ने जाति व्यवस्था तथा कर्म सिद्धान्त को तो स्वीकार किया किन्तु छुआछूत का विरोध किया। भक्ति आंदोलन ने भी जाति व्यवस्था की जड़ता को कम करने का प्रयास किया। गांधी ने भी इसी परम्परा को अपनाया तथा आत्म शुद्धीकरण व रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से दलित कल्याण की राह चुनी।[8]

वही अम्बेडकर इसे धर्म की बजाय अधिकार आधारित दृष्टिकोण से देखा। वे अछूत व्यवस्था के चलन को 'पाप' मानने के बजाय इसे मानव के मूलभूत अधिकार का हनन मानते थे। इसी कारण अम्बेडकर ने राजनीतिक–आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से दलित उत्थान की राह तलाशी तथा इनका यह भी मानना था कि छुआछूत जैसी कुरीति के विरूद्ध भारतीय समाज ने कभी भी गम्भीर प्रयास नहीं किया। इसके पक्ष में कई तर्क देते हैं जैसे–19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण के काल में बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियों की तरफ ध्यान दिया लेकिन पुनर्जागरण में अछूत समस्या को महत्व नहीं दिया। बंकिमचन्द्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक 'साम्य' में असमानता पर करारी चोट की किन्तु उसमें अछूत प्रश्न को शामिल नहीं किया। साथ ही इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस ने जिन 'पांच बुराइयों' के विरूद्ध देश में जागरूकता अभियान चलाया उनमें छुआछूत शामिल नहीं थी। इस प्रकार अम्बेडकर की यह धारणा मजबूत हो गई कि सुधार की यह प्रक्रिया अछूतोद्धार नहीं कर सकती। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर औपनिवेशिक सरकार के हस्क्षेप को लेकर था। अम्बेडकर चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार ही कानून बनाकर इस समस्या का समाधान करें। वही गांधीजी भारतीय समाज के सन्दर्भ में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उनकी इच्छा थी इस प्रकार का कोई भी विधान स्वतंत्र भारत की सरकार ही बनाए। गांधी ब्रिटिश शासन को यह अवसर नहीं देना चाहते थे कि 'छद्म सुधारों' को क्रियान्वित करके ब्रिटिश भारत में अपने शासन की वैधता हासिल कर सकें।[9]

जातीय समस्या के अन्तर का तीसरा बिन्दु यह था कि गांधी अंग्रेजों के विरूद्ध एक 'साझा मोर्चा' बनाना चाहते थे ताकि राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत किया जा सके। इसलिये वे नहीं चाहते थे, कि भारतीय समाज में कोई आंतरिक विभाजन हो जिसका फायदा अंग्रेजों को मिले। यही वजह है कि वे जाति के प्रश्न में अधिक नहीं उलझे तथा राष्ट्रीय आंदोलन को केन्द्र में रखते हुए व्यक्तिगत प्रयास के माध्यम से दलित उत्थान के लिये काम करते रहे। दूसरी तरफ अम्बेडकर दलित उत्थान को ही एकमात्र ध्येय बनाकर चले और उसके लिये वे हर विकल्प पर विचार करने को तैयार थे।

गांधी–अम्बेडकर का राजनीतिक चिन्तन के क्षेत्र में मत

गांधी और अम्बेडकर दोनों ही भारत की दासता को कलंक मानते थे और उसकी स्वतंत्रता के समर्थक थे फिर भी दोनों में पर्याप्त मतभेद था–

1. गांधी अस्पृश्यता तथा भारत की परतंत्रता दोनों को ही कलंक मानते थे और इन दोनों के विरूद्ध एक साथ संघर्ष के समर्थक थे। वही अम्बेडकर राजनीतिक परतंत्रता की तुलना अस्पृश्यता की समस्या को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। इसलिए पहले अस्पृश्यता की प्रथा का अन्त किया जाए उसके बाद भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए।[10]
2. अम्बेडकर का मत था कि राजनीतिक दृष्टि से दलितों की किसी समस्या पर कुछ कहने का अधिकार केवल किसी दलित नेता को ही होना चाहिए वही गांधी का मत था कि दलित हिन्दू समाज

का तथा भारत के सम्पूर्ण राष्ट्रीय समाज का ही अंग है, उनकी समस्या पर कुछ कहने का अधिकार किसी राष्ट्रीय नेता तथा राष्ट्रीय संस्था को है।

3. अम्बेडकर ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग की नीति के समर्थक थे। उनका मत था कि इस नीति के द्वारा वे ब्रिटिश राज की मदद से ऐसे कानूनों को लागू करा सकेंगे जो अस्पृश्यता के निवारण में तथा दलितों के उत्थान में सहायक हो। गांधी का मत था कि अस्पृश्यता की प्रथा अथवा दलितों की समस्या हिन्दू समाज का आन्तरिक मामला थी और उनके समाधान के लिए ब्रिटिशों की मदद लेना अनुचित था।[11]
4. गांधी राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान में अहिंसक सत्याग्रह की पद्धति के प्रयोग के पक्ष में थे ये हृदय परिवर्तन जैसी आध्यात्मिक पद्धतियों में विश्वास करते थे। वही अम्बेडकर ने सत्याग्रह के अनेक रूपों को अपनी प्रकृति से अवैधानिक माना। ये गांधी के विचारों से सहमत नहीं थे।[12]
5. अम्बेडकर विधानसभाओं में दलितों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली के समर्थक थे किन्तु गांधी दलितों को हिन्दू समाज का अभिन्न अंग मानते थे। अतः प्रतिनिधित्व के इस सिद्धान्त का पूर्ण विरोध किया।[13]

आर्थिक चिन्तन पर गांधी–अम्बेडकर का मत

गांधी और अम्बेडकर दोनों ही भारत को आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। दोनों ही महान नेताओं के विचार उपनिवेशवाद तथा नस्लवाद के विरोध में विकसित हुए। दोनों ही पूंजी के एकाधिकारवाद तथा जनता के आर्थिक शोषण के विरोध थे। किन्तु उनके आर्थिक चिन्तन के आधारभूत सिद्धान्तों में अन्तर था। गांधी ने पश्चिमी समाज की बुराइयों को देखा तथा इनका कारण उन्होंने वहां की दूषित उत्पादन प्रणाली को माना। गांधी ने प्रत्यक्ष तौर पर पूंजीवाद की निन्दा नहीं की लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के विरूद्ध थे। गांधी का मानना था कि इस प्रकार का लोभ विनाश की ओर ले जाता है। ये मशीनी युग के विरूद्ध थे। गांधी ने अपरिग्रह के सिद्धान्त को महत्व दिया। गांधी का विश्वास सर्वोदय में था जिसका अर्थ आर्थिक समानता स्थापित करना अर्थात् संसाधनों का वितरण इस प्रकार से हो कि समाज का अन्तिम व्यक्ति भी अपना सर्वांगीण विकास कर सके। इस संदर्भ में गांधी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त दिया जिसका तात्पर्य यह है कि सम्पत्ति एक सामुदायिक अवधारणा है तथा हम इसके ट्रस्टी हैं। गांधी इस सिद्धान्त के माध्यम से आर्थिक न्याय की स्थापना करना चाहते थे। इस तरह गांधी ने संसाधनों के पुनर्वितरण के लिये 'हृदय परिवर्तन' का रास्ता चुना। गांधी औद्योगीकरण एवं किसी भी प्रकार केन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था के विरोधी थे। इसकी जगह कुटीर उद्योग आधारित ग्राम स्वराज की बात कही।[14]

जबकि अम्बेडकर 'अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिकतम उत्पादन' के आर्थिक दर्शन वाली पाश्चात्य अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। वे तीव्र आर्थिक विकास के साथ–साथ आर्थिक समानता की स्थापना भी चाहते थे। अम्बेडकर का मत था कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य–समाजवादी अर्थव्यवस्था के आदर्श को अपनाया जाना चाहिए। अम्बेडकर बड़े उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के समर्थक थे और कृषि क्षेत्र में सामुदायिक खेती की व्यवस्था को लागू करना चाहते थे। यह भी उल्लेखनीय है कि अम्बेडकर ने आधुनिक शहरी जीवन को प्राथमिकता दी क्योंकि ग्राम स्वराज की अवधारणा उन्हे उसी 'पुरातन व्यवस्था' की तरह लगती थी जहाँ से जाति व्यवस्था का उद्भव हुआ था।[15]

सभ्यता एवं संस्कृति पर गांधी–अम्बेडकर के विचार

भारतीय पुरातन सभ्यता, संस्कृति तथा परम्परा को लेकर गांधी एवं अम्बेडकर के विचारों में असमानता दिखती है। गांधी पश्चिमी सभ्यता की तुलना में भारतीय सभ्यता की श्रेष्ठता को स्थापित करना चाहते थे। वही अम्बेडकर ने स्वयं को इस बाध्यता से मुक्त रखा क्योंकि उनकी नजर में छुआछूत जैसी कुरीति भारतीय सभ्यता को मौलिक लक्षण है। गांधी भारतीय सभ्यता की श्रेष्ठता को सिद्ध करके रूडयार्ड किप्लिंग द्वारा प्रतिपादित 'श्वेत नस्ल के भार' सिद्धान्त को चुनौती दे रहे थे जिसके माध्यम से अंग्रेज भारत में अपने शासन का औचित्य सिद्ध कर रहे थे।

अम्बेडकर जब शोषण के प्रश्न पर विचार कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि ये परम्पराएँ ही हैं जो 'असमान व्यवहार' को आधार प्रदान करती है। यही कारण है कि गांधी के विपरीत अम्बेडकर भारतीय सभ्यता के प्रति अधिक कठोर राय रखते थे लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अम्बेडकर ने सम्पूर्ण भारतीय परम्परा को ही खारिज कर दिया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वे भारतीय परम्परा के अभिन्न अंग 'धम्म' को कैसे अपनाते। दर असल अम्बेडकर की शिकायत इस बात से थी कि परम्परागत सामाजिक ढांचे में दलितों के उत्थान हेतु पर्याप्त संभावना नहीं है।[16] इस वजह से अम्बेडकर पश्चिमी आधुनिक जीवन शैली के प्रति अधिक आकर्षित नजर आते थे। अतः दोनों ही अपने–अपने तरीके से भारतीय समाज में सुधार करना चाहते थे।

गांधी–अम्बेडकर का धर्म सम्बन्धी विचार

गांधी–अम्बेडकर दोनों के व्यक्तिगत जीवन में धर्म का प्रभाव पड़ा। दोनों का मत था कि अपने शुद्ध रूप में धर्म का सम्बन्ध किसी विशिष्ट समुदाय से नहीं, अपितु सम्पूर्ण मानव समाज एवं जीवधारियों से होता है, फिर भी दोनों के मत में अन्तर है–

1. गांधी ने धर्म को ऐसी आध्यात्मिक शक्ति के रूप में स्वीकारा है जो व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को पवित्र बनाती है। अम्बेडकर धर्म को आध्यात्मिक–भौतिक शक्ति के रूप में स्वीकारा है जो व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को पवित्र बनाने के साथ ही उसके समाज–संगठन के रूप को भी तय करती है। अर्थात् गांधी के लिए धर्म मूलतः अन्तःकरण एवं आस्था का विषय है, जबकि अम्बेडकर के लिए धर्म मूलतः बुद्धि एवं विवेक का विषय है।
2. गांधी सभी धर्मों को ईश्वरीय व्यवस्था का अंग मानते थे और उनमें मौलिक समानता का अनुभव करते थे।

वही अम्बेडकर धर्मों को मानवीय व्यवस्था का अंग मानते थे और उन्होंने मानवीय समानता एवं न्याय की दृष्टि से विभिन्न धर्मों की समीक्षा की।

3. अम्बेडकर का मत था कि अस्पृश्यता की प्रथा हिन्दू धर्म का अविभाज्य अंग है और इस प्रथा से पीड़ित दलित वर्ग को हिन्दू धर्म त्याग कर किसी अन्य मानवतावादी धर्म को ग्रहण कर लेना चाहिए। गांधी का मत था कि अस्पृश्यता की प्रथा मूल हिन्दू धर्म का अंग नहीं है, अपितु एक ऐसी विकृत प्रथा है जिसका अन्त किया जाना चाहिए।[17]

निष्कर्ष

यह स्पष्ट होता है कि दोनों ही तत्कालीन सामाजिक–राजनीतिक व्यवस्था को बदलने का अथक प्रयास किया। भले ही एक ने पश्चिमी आधुनिक जीवन शैली की बुराइयों के प्रति भारतीय समाज को आगाह किया तो दूसरे ने भारतीय समाज का ही आंतरिक बुराइयों के विरूद्ध चेतना का प्रसार किया। दोनों ही बदलाव के लिए व्यापक जनभागीदारी पर भरोसा करते थे और संघर्ष की बजाय समन्वय की स्थापना हेतु अहिंसक मार्ग को अपनाया। धार्मिक आधार पर दोनों ने ही धर्मग्रन्थों की रूढ़ व्याख्या के उपर अंतःकरण की आवाज को सर्वोच्चता दी। दोनों ही धर्म को मात्र पारलौकिक सत्ता के समर्पित न कर उसका दायरा सत्य, प्रेम, दया तथा व्यापक सामाजिक भागीदारी तक विस्तृत करते हैं। अतः स्पष्ट है कि दोनों महापुरूषों ने एक–दूसरे को काफी बदला और बुनियादी अर्थों में वे परस्पर पूरक बन गए।

अंत टिप्पणी

1. *जाटव, डी.आर, राष्ट्रीय आन्दोलन में डॉ. अम्बेडकर का योगदान, समता साहित्य सदन, जयपुर, 1989, पृ. 96–97*
2. *मून, बसन्त, डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, नई दिल्ली, 1997, पृ. 80–81*
3. *भारती, गाँधी और अम्बेडकर का योगदान दलित एवं महिला उत्थान में, गौतम बुक सेन्टर, नई दिल्ली, 2009, पृ. 38*
4. *भट्टाचार्य, प्रभात कुमार, गाँधी दर्शन, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 1972, पृ. 58*
5. *गाबा, ओमप्रकाश, भारतीय राजनीतिक विचारक, मयूर पेपरबैक्स, नोयडा, 1999, पृ. 67*
6. *गुप्ता विश्वप्रकाश, गुप्ता मोहिनी महात्मा गाँधी : व्यक्तित्व और विचार, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1996, पृ. 38*
7. *जौली, कौर सुरजीत, गाँधी अध्ययन, कन्सैप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 2007, पृ. 140*
8. *चतुर्वेदी, सत्येन्द्रनाथ, कार्लमार्क्स के साम्यवादी और गाँधी के साम्ययोगी आर्थिक विचारों द्वारा नये समाज की रचना, कल्पज पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2007, पृ. 87*
9. *जोशी, दिनकर, महात्मा गाँधी बनाम गाँधी, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2009, पृ. 87*
10. *यंग इंडिया, 4 जुलाई, 1925*
11. *मिश्रा, एम.के., दाधीच कमल, गाँधी और सत्याग्रह, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2011, पृ. 53*
12. *हरिजन सेवक, 9 अगस्त, 1942*
13. *जाटव, डी.आर., डॉ. अम्बेडकर व्यक्तित्व एवं कृतित्व, समता साहित्य सदन, जयपुर, 1988, पृ. 12*
14. *जाटव, डी.आर., द इव्योल्यूशन ऑफ इण्डियन सोशल थॉट, बोहरा पब्लिकेशन, जयपुर, 1987, पृ. 108*
15. *पूरणमल, बाबा साहब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जीवन और संघर्ष, पोइन्टर पब्लिशर्स, 2008, पृ. 65*
16. *फडिया, बी.एल., भारतीय राजनीतिक चिन्तन, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 1981, पृ. 47*
17. *वर्मा, एस.एल., गुप्ता मधु, महात्मा गाँधी एवं धर्म निरपेक्षता, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1999, पृ. 78*